



## मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन  
के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु  
चयन परीक्षा-2011

### परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	दि. 21.07.2011	
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	दि. 19.08.2011	
परीक्षा दिनांक व दिन	दि. 25.09.2011, रविवार	
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित वर्ग के लिए :-	रु. 700/-
	आरक्षित वर्ग के लिए :-	रु. 350/-
ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 50/- देय होगा।		

### समय सारणी

क्रं.	विषय	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र)	25.09.2011	रविवार	02 घंटे	08:00AM to 10:15 AM	100
2.	हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता	25.09.2011	रविवार	02 घंटे	12:00 Noon to 02:15 PM	100 (70+30)
3.	सामान्य ज्ञान	25.09.2011	रविवार	02 घंटे	03:00PM to 05:15 PM	100

टिप्पणी :-

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में सेलुलर, मोबाईल फोन, केलकूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन  
के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु  
चयन परीक्षा-2011

विषय सूची

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	अध्याय-1 – पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2011 के लिए विभागीय नियम	03-10
2.	अध्याय-2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	11-14
3.	अध्याय-3 – विस्तृत पाठ्यक्रम	15-16
4.	अध्याय-4 – आवश्यक प्रमाण-पत्रों के प्रारूप	17-21

1.1 सामान्य :-

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. पुमु/2-चयन/स-1/18/11, दिनांक 25.02.2011, पत्र क्रं. /पुमु/2-चयन/स-1/18-ए/11, दिनांक 24.06.2011, पत्र क्रं. पुमु/2-चयन/स-1/18-बी/11, दिनांक 07.07.2011 तथा मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पत्र क्रं. एफ-2(अ)176/2010/बी-4-दो, दिनांक 25.05.2011 के अनुसार मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक(जि.पु.ब.), उप निरीक्षक(वि.शा.), उप निरीक्षक(क्यू.डी.), उप निरीक्षक(रेडियो), उप निरीक्षक (अं.चि.) एवं प्लाटून कमांडर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष/महिला उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1.2 परिभाषायें :-

- (अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।
- (ब) "समिति" से अभिप्रेत है - राज्य शासन द्वारा गठित की गई चयन समिति।
- (स) "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है - मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।
- (द) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है - पुलिस विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक नापतौल, शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् साक्षात्कार।
- (ई) "मण्डल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।
- (फ) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

1.3 रिक्त पदों की तालिका :-

स. क्रं.	इकाई	सामान्य		अजजा		अजा		अपिव		योग	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला
1.	सूबेदार	10	05	04	02	03	02	03	01	20	10
2.	उप निरीक्षक(जिपुब)	105	57	42	23	33	19	30	15	210	114
3.	उप निरीक्षक(विशा)	06	03	03	01	02	01	01	01	12	06
4.	उप निरीक्षक(क्यूडी)	0	0	01	0	01	0	0	0	02	0
5.	उप निरीक्षक(रेडियो)	10	05	04	02	03	02	03	01	20	10
6.	उप निरीक्षक(अं.चि)	04	02	01	01	01	01	01	0	07	04
7.	प्लाटून कमांडर	50	0	20	0	16	0	14	0	100	0
योग :-		185	72	75	29	59	25	52	18	371	144

- नोट- (1) स.क्रं. 2 में उप निरीक्षक (जिला पुलिस बल) के रिक्त पदों में महिलाओं के लिये आरक्षित पदों में 30% आरक्षण के अतिरिक्त महिला उप निरीक्षक (डेस्क) हेतु स्वीकृत 24 पद भी केवल महिलाओं के लिये शामिल है।
- (2) शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- (3) प्लाटून कमांडर के पदों को छोड़कर शेष संवर्ग में आरक्षण नियमों के अनुसार योग्य महिला उम्मीदवार न मिलने पर पद कैरीफारवर्ड नहीं होगा बल्कि उसी जाति के योग्य पुरुष से भरा जायेगा परन्तु महिला डेस्क के लिये स्वीकृत 24 पदों को केवल महिलाओं से भरा जायेगा। शासन के आदेशानुसार 10% पद भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित हैं, 05% पद म.प्र. पुलिस कर्मियों के लिये आरक्षित हैं। यह दोनों ही हॉरीजन्टल आरक्षण हैं और योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर कैरीफारवर्ड नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जावेंगे यदि चयन सूची में पहले से ही 05% पुलिस कर्मी या 10% भूतपूर्व सैनिक मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

1.4 पदों का वेतनमान है :-

स.क्रं.	पद नाम	वेतनमान
1.	सूबेदार	वेतन बेण्ड 9300-34800 पी.बी.-1 ग्रेड वेतन 3200
2.	उप निरीक्षक संवर्ग	वेतन बेण्ड 9300-34800 पी.बी.-1 ग्रेड वेतन 3600
3.	प्लाटून कमांडर	वेतन बेण्ड 5200-20200 पी.बी.-1 ग्रेड वेतन 2800

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम-4/दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं0 एफ-9/डी/2003 नियम-4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है। प्लाटून कमांडर के पदों को छोड़कर शेष सभी पदों के लिये महिलायें भी रिक्त पदों के अनुरूप आवेदन कर सकती हैं।

1.5 परीक्षा केन्द्र :- परीक्षा केन्द्रों का विवरण अध्याय-2 में देखें।

1.6 निर्धारित आयु सीमा :-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2012 को 18 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

उच्चतर आयु सीमा में छूट :

निम्न संवर्गों के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है:-

1.6.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी अर्थात् इस जाति वर्ग के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2012 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

1.6.2 वे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक हैं, या मध्य प्रदेश शासन में अस्थायी पद धारण करने वाले शासकीय सेवक हैं, उनकी अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होगी। मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी/कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु सीमा में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई। सी.आर.पी.एफ, बी.एस.एफ, आई.टी.बी.पी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्ध सैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है।

शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने एवं चयन से हुई नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी और ऐसी लिखित अनुमति को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

1.6.3 छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरूप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात् 31 वर्ष से अधिक न हो।

‘छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी’ से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा किन्हीं भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी।

1.6.4 उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अर्थात् 31 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है एवं वे सब सुविधा की पात्रता हैं जो भूतपूर्व सैनिक को लागू हैं। सेवा में 6 माह की निरन्तर कालावधि तक सेवा करता रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया हो।

नोट— भूतपूर्व सैनिक संवर्ग में भू-सेना, क्षेत्रीय सेना या केन्द्र शासन के पुलिस या अर्द्धसैनिक बलों के भूतपूर्व कर्मी शामिल नहीं होंगे।

1.6.5 विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिल की जायेगी।

1.6.6 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के लिये भी अधिकतम आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल की जायेगी अर्थात् अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1.6.7 स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नान-कमीशन्ड अधिकारियों के प्रकरण में अधिकतम 8 वर्ष की कालावधि एवं 36 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत उनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई सेवा की कालावधि तक शिथिल की जायेगी। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

1.6.8 किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका के अध्याय-3 में दर्शाए गए हैं।

1.6.9 विवाह संबंधी/बच्चे संबंधी :-

(1) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु (पुरुष 21 एवं महिला 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

1.7 न्यूनतम शारीरिक अर्हता :-

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए :-

1.7.1 उँचाई : पुरुष — 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक  
महिला — 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक

1.7.2 सीना : पुरुष — सीना बिना फुलाये 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर 86 सेंटीमीटर (अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक है) इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

1.7.3 अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिये।

1.7.4 अभ्यर्थी में 'नॉकनी/फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये तथा चिकित्सक दृष्टि से योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक है।

नोट:- न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

1.8 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

क्रं.	पदनाम	पद का प्रकार	शैक्षणिक अर्हतायें
1.	सूबेदार	अतकनीकी पद	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य।

2.	उप निरीक्षक (जिला पुलिस बल)	अतकनीकी पद	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य।
3.	उप निरीक्षक (विशेष शाखा)	अतकनीकी पद	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य।
4.	उप निरीक्षक (क्यू.डी.)	तकनीकी पद	किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विषय के साथ स्नातक या उसके समतुल्य उपाधि।
5.	उप निरीक्षक (रेडियो)	तकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक/ इलेक्ट्रिकल, टेली कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में 03 वर्ष का डिप्लोमा।
6.	उप निरीक्षक (अंगुली चिन्ह)	तकनीकी पद	किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विषय के साथ स्नातक या उसके समकक्ष या उसके समतुल्य उपाधि।
7.	प्लाटून कमांडर	अतकनीकी पद	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य।

### 1.8.1 शैक्षणिक योग्यता में छूट :-

शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त न हो।

1.8.2 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होने के साथ उसके द्वारा मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार हायर सेकेण्ड्री या स्नातक परीक्षा म0प्र0 स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

1.8.3 निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार को अवश्य होनी चाहिये, अर्थात् यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष स्नातक की परीक्षा में बैठा है और उसके पास स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।

### 1.9 परीक्षा की योजना :-

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाने होंगे। ऑनलाईन आवेदन-पत्रों की स्क्रूटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय-2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध होंगे।

#### 1.9.1 प्रथम चरण – लिखित परीक्षा :-

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में विषय, समय, अवधि एवं अधिकतम अंक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में निम्नानुसार होंगे :-

क्र.	प्रश्न-पत्र	पद प्रकार जिसके लिए प्रश्न-पत्र लागू होंगे	अवधि	अधिकतम अंक
1.	विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र)	तकनीकी	02 घंटे	100
2.	हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता	तकनीकी/अतकनीकी	02 घंटे	100
3.	सामान्य ज्ञान	तकनीकी/अतकनीकी	02 घंटे	100

टीप(क)-अभ्यर्थियों के लिये सूबेदार/उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर एवं उप निरीक्षक (विशेष शाखा) के पद के लिये हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता तथा सामान्य ज्ञान की परीक्षा अनिवार्य है।

(ख)- उप निरीक्षक (रेडियो) उप निरीक्षक (अंगुली चिन्ह/फोटो) के पदों के लिये हिन्दी/अंग्रेजी में दक्षता, सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र) तीनों परीक्षाएँ अनिवार्य हैं।

- (ग)– आवेदक को लिखित परीक्षा के लिये मंडल द्वारा जारी प्रवेश-पत्र तथा काला बॉल प्वाइंट पेन अपने साथ लाना होगा।
- (घ)– परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाईल आदि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- (द)– नकल – लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुये अथवा नकल सामग्री के साथ पकड़ा जावेगा उसे तीन वर्षों के लिये सूबेदार/उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर आदि प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी। लिखित परीक्षा हाल में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा जिनके पास मंडल द्वारा जारी प्रवेश-पत्र होगा।

1.9.2 लिखित परीक्षा की मेरिट सूची :-

मंडल द्वारा लिखित परीक्षा का परीक्षा परिणाम व रोल नंबर क्रम में सूची, आरक्षण संबंधी समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए तैयार कर चयन समिति की अनुशंसा हेतु पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम की जानकारी मंडल द्वारा वेबसाईट पर व समाचार पत्रों में तथा पुलिस विभाग द्वारा व्यक्तिगत सूचना-पत्र जारी कर द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार के लिए अवगत कराया जायेगा।

विज्ञापित रिक्त पदों के 7 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट अनुसार द्वितीय चरण की परीक्षाओं, शारीरिक दक्षता परीक्षा व साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा क्योंकि लिखित परीक्षा के पूर्व नाप जोख नहीं कराया जायेगा और ऐसी स्थिति में निर्धारित अर्हताएं पूर्ण नहीं करने वाले उम्मीदवारों के सम्मिलित होने की संभावना रहेगी। जाति वर्ग अनुसार 7 गुनी संख्या को अंतिम उम्मीदवार के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 7 गुना से अधिक हो जावे।

गैर तकनीकी (सूबेदार, उपनिरीक्षक, उप निरीक्षक (विशेष शाखा एवं प्लाटून कमाण्डर) तथा तकनीकी (उप निरीक्षक अंचि, रेडियो, क्यूडी) के लिये पृथक पृथक सूची बनायी जायेगी। चूंकि योग्य उम्मीदवार दोनों ही प्रकार के पदों के लिये प्राथमिकता दे सकते हैं। अतः यदि कोई उम्मीदवार मेरिट के आधार पर गैर तकनीकी वर्ग की सूची में होते हुये भी तकनीकी वर्ग की सूची के लिये भी पात्र होता है तो तकनीकी वर्ग की सूची में ऐसे उम्मीदवार के नाम शामिल होंगे, किन्तु तकनीकी वर्ग की सूची हेतु 7 गुनी संख्या का आंकलन करते समय इनकी गणना नहीं की जावेगी।

1.9.3 द्वितीय चरण – शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट व साक्षात्कार :-

प्रथम चरण में सफल घोषित उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पुलिस विभाग द्वारा निश्चित स्थान, तिथि एवं समय की सूचना डाक के द्वारा दी जायेगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट व साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित करायी जावेगी।

1.9.4 शारीरिक माप परीक्षण :

शारीरिक माप मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जायेगी।

1.9.5 शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट :

पुलिस विभाग द्वारा लिये जाने वाले शारीरिक प्रावीण्यता संबंधी विभिन्न टेस्ट व अधिकतम अंक निम्नानुसार होंगे :-

क्रं.	शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट	अधिकतम अंक
1.	लम्बी कूद	20
2.	ऊँची कूद	20
3.	गोला फेंक	20
4.	100 मीटर दौड़	20
5.	1500 मीटर दौड़	20

टेस्ट में प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिये विस्तृत अंक विभाजन मध्यप्रदेश पुलिस अराजपत्रित कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम 1997 की अनुसूची 5 जो कि मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र दि. 22.5.1998 में प्रकाशित हुई है, को देखें। यह अंकसूची परीक्षा के समय पुलिस विभाग के परीक्षा पटल पर भी लगाई जावेगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन हेतु विचार में लिया जायेगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 20% अंक अर्जित किये हों अर्थात् इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा और उनका साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा।

नोट – शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी एवं न ही उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जावेगा।

#### 1.9.6 साक्षात्कार :

राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा लिया जायेगा, जिसका आयोजन पुलिस विभाग करेगा। साक्षात्कार हेतु अधिकतम 50 अंक होंगे।

#### 1.9.7 बोनस अंक :

एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण पत्र धारक और एलएल.बी. डिग्री धारक अभ्यर्थियों को प्रत्येक के लिये 5 बोनस अंक दिये जायेंगे।

#### 1.10 चयन सूची :-

नोट :- द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन में गठित चयन समिति द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित कराई जावेगी, जिसमें सफल उम्मीदवारों के प्राप्तांकों सहित सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात भर्ती के लिये अन्तिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षा, साक्षात्कार और बोनस अंक में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार कर मंडल द्वारा पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर चयन समिति उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची प्रकाशित करेगी। अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न पदों के लिये दिये गये अधिमान्य (प्रिफरेंस) तथा मेरिट सूची में ज्येष्ठता (सीनियरटी) के आधार पर पद आवंटित किया जावेगा। कोई अधिमान्यता न दिये जाने या पूरे पदों के लिये अधिमान्यता न देने की स्थिति में चयन समिति कंडिका- 1.3 में दिये गये पदों के क्रम में चयन का प्रस्ताव देने अथवा कोई पद आवंटित न करने की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि किसी उम्मीदवार के पास कोई ऐसी योग्यता है जो चयन समिति की राय में किसी पद विशेष के लिये अत्यंत उपयोगी है तो चयन समिति पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन पश्चात् ऐसे उम्मीदवार की ऐसे पद पर चयन की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

#### 1.11 पारस्परिक वरीयता :-

समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरीयता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरीयता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT- OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

#### 1.12 प्रतीक्षा सूची :-

विज्ञापित किये गये रिक्त पदों की 10 प्रतिशत संख्या में अभ्यर्थियों के नामों को सम्मिलित करते हुए गुणागुण के क्रम में एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची बेसिक प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तारीख से 3 मास तक वैध रहेगी। यदि अंतिम चयन सूची में चयनित कोई अभ्यर्थी निश्चित समय-सीमा में उपस्थित नहीं होता है, तो प्रतीक्षा सूची में से अभ्यर्थियों को गुणागुण के क्रम में नियुक्ति प्रस्तावित की जाएगी।

#### 1.13 नियुक्ति :-

चयनित उम्मीदवारों के संबंध में चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा केवल 'अनुकूल' चरित्र पाये जाने वाले, चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों के विषय में ही नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण भी कराया जायेगा। नियुक्ति के लिये पात्रता हेतु उम्मीदवार का 'मेडिकली फिट' होना भी अनिवार्य है।

नोट— समय की बचत एवं सुविधा के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठने के योग्य घोषित किये गये सभी उम्मीदवारों को पूर्ववत सत्यापन फार्म भेजा जाता है जो उम्मीदवारों को भरकर प्रस्तुत करना होता है, तथा इसमें से साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों का चरित्र एवं पूर्ववत सत्यापन करा लिया जाता है। जो उम्मीदवार चयनित नहीं होता है उसके फार्म का आगे उपयोग नहीं किया जाता है।

उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही सही जानकारी भरना चाहिये, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिये। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिये। विशेष कर चरित्र सत्यापन फार्म के कालम नम्बर 12 में सही सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुये नहीं छिपाया है।

- (1) नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।
- (2) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिये प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा। प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने पर प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा। केवल योग्य पाये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जावेगी, अयोग्य उम्मीदवारों को वापस भेज दिया जावेगा।
- (3) जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।
- (4) नियुक्ति अधिकारियों की अंतरिम आपसी सहवरीष्टता परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित की जावेगी। प्रशिक्षण के दौरान आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 48 के अनुसार उनकी आपसी सहवरीष्टता निर्धारित की जावेगी।
- (5) निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (6) चयनित उम्मीदवार को पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अन्तर्गत राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू), लोकायुक्त, फायर ब्रिगेड व ऐसी अन्य संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।

#### 1.14 प्रशिक्षण :-

नियुक्ति उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथक से भेजी जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर अथवा रूस्तमजी आर्म्ड पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इंदौर में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा।

प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र-शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी जब तक सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक उसे प्रशिक्षण संस्था में ही रखा जायेगा। उक्त दोनों अवसरों में प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं करने पर उसे एक माह का नोटिस देकर सेवा से मुक्त (बर्खास्त) कर दिया जायेगा।

#### 1.15 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाना :-

आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करेंगे, परन्तु पुलिस विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय निम्न दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना होगा :-

- (1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की प्रमाणित अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों।
- (2) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (डिग्री या सर्टिफिकेट की फोटो प्रति)।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।
- (4) यदि बोनस अंकों हेतु दावा किया जा रहा है तो एलएल. बी. डिग्री या एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण पत्र (साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना है)।
- (5) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र।
- (6) पुलिस कर्मियों के प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में होने का प्रमाण पत्र।
- (7) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये)। (साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना है)।

नोट— दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा। अध्याय-3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

#### 1.16 यात्रा किराया :-

मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये योग्य उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा दी जायेगी।

पुलिस महानिरीक्षक (चयन)  
पुलिस मुख्यालय

## अध्याय – 2

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल  
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण निर्देश :-

- 2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें अलग-अलग पदों हेतु विकल्प रहेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता क्रम में आवेदित पद/पदों की प्राथमिकता स्पष्ट रूप से दिया जाना होगा। आवेदक द्वारा दिए गए विकल्प/प्राथमिकता अनुसार ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

पदनाम	पद का प्रकार
सूबेदार	अतकनीकी पद
उप निरीक्षक (जिला पुलिस बल)	अतकनीकी पद
उप निरीक्षक (विशेष शाखा)	अतकनीकी पद
उप निरीक्षक (क्यू.डी.)	तकनीकी पद
उप निरीक्षक (रेडियो)	तकनीकी पद
उप निरीक्षक (अंगुली चिन्ह)	तकनीकी पद
प्लाटून कमांडर	अतकनीकी पद

- 2.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।
- 2.3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।
- 2.4 स्क्रूटनी/ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की स्क्रूटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :-

क्रं.	विवरण
1.	अभ्यर्थी का फोटो
2.	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
3.	श्रेणी
4.	संवर्ग
5.	लिंग
6.	मूल निवासी
7.	जन्मतिथि
8.	प्राथमिकता अनुसार पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है

जिस अभ्यर्थी के आवेदन के साथ अभ्यर्थी का फोटो प्राप्त नहीं होता है, उसका आवेदन-पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में उसे मान्य नहीं किया जायेगा। शेष उपरोक्त स.क्रं. 02 से 08 तक की जानकारी के रिक्त होने की स्थिति में आवेदन-पत्र में संशोधन हेतु ऑनलाईन रेक्ट्रिफिकेशन (त्रुटि सुधार) की सुविधा प्राप्त होगी।

- 2.5 निरस्त/त्रुटि सुधार की सूचना :-

मंडल कार्यालय द्वारा निरस्त/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी मण्डल की वेबसाइट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर अपलोड कर कर दी जायेगी। मंडल द्वारा पृथक से इसकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी। उक्त त्रुटि सुधार हेतु परीक्षा पूर्व तक एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित त्रुटि सुधार शुल्क रूपये 100/- एवं एम.पी. ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क

रूपये 50/- वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) या [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर जमा कर ऑनलाईन टेस्ट एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है, जो परीक्षा केन्द्र पर मान्य होगा।

2.6 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

मण्डल द्वारा नियमानुसार मान्य आवेदन-पत्र के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर अपलोड किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :- अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश-पत्र उक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। डाउनलोड किए हुए प्रवेश-पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाइन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.7 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :-

क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र	क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र	क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र
1.	बालाघाट	10.	इंदौर	19.	सिवनी
2.	होशंगाबाद	11.	जबलपुर	20.	शहडोल
3.	भोपाल	12.	खण्डवा	21.	उज्जैन
4.	छतरपुर	13.	मंदसौर		
5.	छिंदवाड़ा	14.	खरगौन		
6.	धार	15.	रतलाम		
7.	गुना	16.	रीवा		
8.	देवास	17.	सागर		
9.	ग्वालियर	18.	सतना		

मंडल अपनी सुविधानुसार परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

2.8 परीक्षा शुल्क :-

उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रु. 700/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लिये रु. 350/- निर्धारित है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 50/- अतिरिक्त देय होगा।

2.9 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

प्रवेश-पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन।

2.10 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात्~ Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.11 लिखित परीक्षा का विवरण :-

क्रं.	विषय	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र)	25.09.2011	रविवार	02 घंटे	08:00AM to 10:15AM	100
2.	हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता	25.09.2011	रविवार	02 घंटे	12:00Noon to 02:15PM	100 (70+30)
3.	सामान्य ज्ञान	25.09.2011	रविवार	02 घंटे	03:00PM to 05:15PM	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

## 2.12 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

- (क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- (ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- (ङ) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- (च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।
- (छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- (ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- (झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- (ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

## 2.13 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

## 2.14 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

4. कोई भी विकल्प सही न हो।
  5. यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
  6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
  7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :- सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

- 2.15 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप-5 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

बिन्दु क्रमांक 2.14 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी। आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

- 2.16 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

अध्याय-1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। पुलिस विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरान्त परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध कराया जा सकता है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

- 2.17 अंक सूची :

पुलिस विभाग की अनुशंसा/निर्देश पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर अपलोड की जा सकेगी। तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

- 2.18 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

- 2.19 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रश्न-पत्र – 1 (अधिकतम अंक-100) :-  
केवल तकनीकी पदों हेतु

उप निरीक्षक तकनीकी संवर्ग भर्ती वर्ष 2011 की लिखित परीक्षा हेतु रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक स्तर हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार रहेगा।

अंको का विभाजन निम्नानुसार रहेगा :-

1-	रसायन शास्त्र	-	33
2-	भौतिक शास्त्र	-	33
3-	गणित	-	34
	योग:-		<u>100</u>

प्रश्न-पत्र – 2 (अधिकतम अंक-100) :-  
तकनीकी एवं अतकनीकी पदों हेतु

Marks: 30

English (10+2 Level)

Functional Grammar

- 1- Tenses
- 2- Modals
- 3- Determiners
- 4- Articles
- 5- Voices
- 6- Narration
- 7- Prepositions
- 8- Clauses

An unseen passage with a variety of questions including marks for vocabulary such as word formation and inferring meaning.

The passages could be any of the following two types:-

- (a) Factual passages- e.g. instructions, descriptions, reports.
- (b) Discursive passages- involving opinion e.g. argumentative, persuasive.

भाषा बोध—

शब्द निर्माण— (उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास) पर आधारित प्रश्न  
समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द पर आधारित प्रश्न  
अनेकार्थी शब्द पर आधारित प्रश्न  
विलोम शब्द पर आधारित प्रश्न  
पर्यायवाची शब्द पर आधारित प्रश्न  
वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न  
भाव पल्लवन/भाव विस्तार पर आधारित प्रश्न  
वाक्य — अशुद्धि संशोधन पर आधारित प्रश्न  
वाक्य परिवर्तन पर आधारित प्रश्न  
मुहावरे/लोकोक्तियों पर आधारित प्रश्न

समास विग्रह तथा समास के भेद पर प्रश्न  
संक्षिप्तिकरण पर प्रश्न  
भिन्नार्थक समोच्चरित शब्द पर प्रश्न  
पारिभाषिक, तकनीकी शब्दों के प्रयोग पर प्रश्न  
वाक्य भेद (रचना, अर्थ के आधार पर) वाक्य रूपान्तर पर प्रश्न  
शब्द युग्म पर प्रश्न

बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा पर प्रश्न  
मुहावरे/ लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग पर प्रश्न

काव्य बोध—

काव्य की परिभाषा — भेद, मुक्तक काव्य, प्रबन्ध काव्य  
(महाकाव्य, खण्डकाव्य) पर प्रश्न  
रस — परिभाषा, अंग, भेद और उदाहरण पर प्रश्न  
अलंकार— वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति पर प्रश्न  
छन्द— गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला, रोला पर प्रश्न

रस परिचय, अंग, रस भेद— उदाहरण सहित अलंकार  
छंद, काव्य की परिभाषा एवं काव्य के भेद काव्य गुण

क्षेत्रीय बोली—पहेलियाँ, चुटकुले, लोकगीत, लोक कथाओं का परिचय तथा खड़ी बोली में उनका अनुवाद ।

म.प्र. से प्रकाशित होने वाली हिन्दी भाषा की पत्र पत्रिकाओं की जानकारी ।

अपठित बोध —

एक गद्यांश — शीर्षक सारांश एवं प्रश्न  
एक पद्यांश — शीर्षक, सारांश एवं प्रश्न

प्रश्न—पत्र — 3 (अधिकतम अंक—100) :-  
तकनीकी एवं अतकनीकी पदों हेतु

सामान्य ज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रकार के मध्यप्रदेश राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य जानकारियों के अतिरिक्त गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषय आधारित प्रश्नों के साथ जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य बुद्धि गुणवत्ता के रीजनिंग संबंधी प्रश्न शामिल होंगे ।

**अध्याय-4**  
**प्रमाण-पत्रों के प्रारूप**

**प्रारूप-1**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये  
स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें :-

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थायी प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये -

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्य प्रदेश  
पुस्तक क्रमांक.....  
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र-नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पिता/पति का नाम .....निवासी/ग्राम/नगर .....विकास  
खण्ड..... तहसील.....जिला.....संभाग.....जाति/जनजाति  
का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ..... जाति/  
जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक...  
.....पर अंकित है, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति का नाम .....अनुसूचित  
जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल  
वार्षिक आय रुपये.....हैं।

दिनांक .....  
(सील)

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये  
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:-

1. संबंधित (राजस्व) अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार।

अस्थायी प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये -

(अस्थायी प्रमाण पत्र) नियम 8 (2)  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्य प्रदेश  
पुस्तक क्रमांक.....  
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पिता/पति का नाम .....निवासी/ग्राम/नगर .....वि.ख. ....तहसील....  
.....जिला..... संभाग.....जाति/जनजाति का/  
की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .....  
..जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में  
अनुक्रमांक.....पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
...पिता/पति का नाम .....अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार  
की कुल वार्षिक आय रुपये.....हैं ।

दिनांक .....  
(सील)

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये  
प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप  
(स्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(1)  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक.....  
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/  
पति का नाम .....निवास/ग्राम/नगर ..... वि.ख.....तहसील.....  
.....जिला..... संभाग.....मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.  
..... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति  
एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा  
अधिमान्य किया गया है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति का नाम .....  
और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला .....संभाग.....में निवास  
करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....क्रीमीलेयर (सम्पन्न  
वर्ग ) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के  
परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य प्रदेश  
शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न  
परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .....के परिवार की कुल  
वार्षिक आय रुपये.....है।

दिनांक .....  
(सील)

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।  
प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास  
करता है।

जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य  
प्राधिकृत अधिकारी।

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये  
प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप  
(अस्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(2)  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक.....  
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/  
पति का नाम .....निवास/ग्राम/नगर .....वि.ख.....  
.....तहसील.....जिला.....संभाग.....मध्य प्रदेश के  
निवासी हैं, जो.....जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित  
जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर  
1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति का नाम .....  
और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला .....संभाग में निवास करता है। यह प्रमाणित  
किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग ) व्यक्तियों/ वर्गों की  
श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक  
360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य  
प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई'  
की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .....के  
परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....है।

दिनांक .....  
(सील)

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित  
अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता है।

संबंधित राजस्व अधिकारी/ तहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार/ नायव तहसीलदार

यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

नोट : वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा  
जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन  
(देखें नियम 2.14)

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक(जि.पु.ब.), उप निरीक्षक(वि.शा.), उप निरीक्षक(क्यू.डी.), उप निरीक्षक(रेडियो), उप निरीक्षक (अं.चि.) एवं प्लाटून कमांडर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये चयन परीक्षा-2011 में अनुक्रमांक ..... से परीक्षा केन्द्र..... से सम्मिलित हुआ/हुई हूँ । मेरे द्वारा प्रश्न-पुस्तिका कोड ..... के सेट क्रमांक..... हल किया गया है । इस प्रश्न-पत्र के निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण हैं:-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....  
आवेदक का नाम.....  
परीक्षा का नाम.....  
अनुक्रमांक.....  
परीक्षा केन्द्र का नाम.....

स्थान .....  
दिनांक .....

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जा सकेगा)